शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी ने की थी हत्या

जगन्नाथपुर गांव में नहर पटरी के पास मिला था सिर कटा शव

02 माह पहले शुरू हुई थी दोनों की प्रेम कहानी

72 घंटे में पुलिस ने कर दिया घटना का राजफाश

जासं, बहराइच : नानपारा इलाके में महिला के मिले सिर कटे शव की शिनाख्त करने के बाद रविवार को पुलिस ने राजफाश कर दिया। महिला की हत्या उसके प्रेमी ने की थी। दो माह पूर्व दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। महिला शादी करने का दबाव बनाने लगी तो प्रेमी ने उसको रास्ते से हटाने की ठानी और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 72 घंटे के भीतर घटना का राजफाश कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

जगन्नाथपुर गांव में नहर पटरी के पास बीते सात मार्च को सिर कटा शव मिला था। 24 घंटे में इंटरनेट मीडिया के जरिए शिनाख्त हो गई थी। महिला की पहचान श्रावस्ती जिले की 26 वर्षीय [illegible] के रूप में हुई। एसपी रामनयन सिंह ने घटना का राजफाश करने के लिए स्वाट टीम, सर्विलांस टीम व कोतवाली पुलिस को निर्देश दिया। टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि घटना में शामिल अभियुक्त नेपाल भागने की फिराक में है। सूचना मिलते ही टीम मथुरा पुल के पास पहुंची और आरोपित को दबोच लिया। प्रेस वार्ता के दौरान एएसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपित आसिफ रजा उर्फ फैजान से कड़ी पूछताछ की गई तो वह टूट गया और घटना को कारित करने की बात स्वीकार किया। पूछताछ के दौरान तथ्य सामने आया कि मृतका काफी दिन से अपने मायके कस्बा नवाबगंज में रह रही थी। यहां आसिफ की बाइक की दुकान थी। आसिफ का घर भी मृतका के गांव में ही था। एएसपी ने बताया कि दो माह से दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग चलने लगा था। इसी बीच महिला प्रेमी पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। प्रेमी शादी नहीं करना चाह रहा था। उसके बाद उसने अपने रास्ते से महिला को हटाने का निर्णय लिया। बीते सात मार्च की शाम उसे नहर के पास लाकर उसकी गर्दन काटकर नृशंस हत्या कर दी। एएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित को न्यायालय में पेश किया गया।

पुलिस लाइन सभागार में हत्यारोपित के बारे में जानकारी देते एएसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी व बरामद आला-ए-कत्ल • जागरण

सलार मूवी देखकर तैयार किया बोगदा, काट दिया प्रेमिका का गला

राहुल राठ/अनुराग बाजपेयी • जागरण

बहराइच : शादी के बढ़ते दबाव के बाद एक बाइक मैकेनिक ने दक्षिण भारत की सलार मूवी देखकर प्रेमिका की हत्या की साजिश रच डाली। वारदात को अंजाम देने के लिए फिल्माए गए हथियार को भी बाइक के पुर्जों से बना डाला। लगभग दो माह के प्रेम को उसने दो मिनट के अंदर खत्म कर दिया। नानपारा इलाके के जगन्नाथपुर गांव में नहर के पास बीते सात मार्च को 26 वर्षीय महिला [illegible] का सिर कटा शव बरामद हुआ था। पुलिस ने राजफाश किया तो सच [illegible] चौंकाने वाली बात सामने आई। महिला का अपने मायके के घर के पास बाइक मिस्त्री आसिफ रजा पर दिल आ गया। दोनों में सिर्फ दो माह ही प्रेम-प्रसंग चला। इसके बाद महिला ने शादी का दबाव बनाया तो प्रेमी ने रास्ते से हटाने की ठानी। इसके लिए उसने अपने मोबाइल पर साउथ की सलार मूवी देखी।

एक दिन पहले अपने साथ होटल में रखा, गर्दन काटकर दो किलोमीटर दूर झाड़ी में छिपा दिया था सिर

मूवी देखने के बाद बाइक के चेन स्प्रोकेट व लकड़ी से बोगदा तैयार किया। छह मार्च को प्रेमी ने महिला को विश्वास में लिया और उनको अपने साथ होटल ले गया। होटल से निकलने के बाद वह नानपारा कोतवाली इलाके में सुनसान जगह पहुंचकर नहर के पास बोगदे से गला काट दिया। यही नहीं, प्रेमी ने गले को महिला के शाल व दुपट्टे में लपेटकर बोगदे सहित घटना स्थल से करीब दो किलोमीटर लाकर झाड़ी में छिपा दिया। इस वारदात को जिसने भी सुना, सब अचंभित रह गए।

फिल्म देख प्रेमिका की हत्या की थी

फालोअप

बहराइच, संवाददाता। दो दिन पूर्व नानपारा के जगन्नाथपुर गांव में नहर के किनारे एक महिला की सिर कटी लाश मामले का खुलासा स्वाट, नानपारा पुलिस की संयुक्त टीम ने कर कत्ल के गुनहगार को धर दबोचा है। उसकी निशानदेही पर युवती का सिर बरामद कर लिया गया। विवाहिता के शादी का दबाव बनाए जाने पर नानपारा इलाके में कत्ल की वारदात कर गुनाह छिपाने को सिर गायब कर दिया था।

एएसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि मृतका की शिनाख्त, खुलासे को लगाई गई नानपारा कोतवाल प्रदीप कुमार सिंह, निरीक्षक अपराध अवधेश कुमार व उनकी पुलिस टीम व स्वाट उपनिरीक्षक दिवाकर तिवारी व उनकी टीम की राह आसान हो गई तहकीकात के दौरान मृतका के एक युवक से अवैध संबंध होने की जानकारी मिली जिसके बाद टीम ने उसके प्रेमी श्रावस्ती के हरदत्तनगर गिरंट थाने के हसनपुर ग्राम के रहने वाले आसिफ रजा को नानपारा कोतवाली के मथुरा पुल के पास गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में महिला की हत्या की बात कबूल की है। विवाहिता से लगभग दो माह से इश्क कर रहे आसिफ रजा से युवती शादी का दबाव बना रही थी। उसने सलार फिल्म से आइडिया लेकर बोगदा तैयार कर बहाने से युवती को बुलाकर बाइक से लेकर नहर के पास आया जहां पर उसने उसकी गला काटकर हत्या कर दी। उसके सिर को घटना स्थल से करीब तीन किलोमीटर दूर छिपाया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मृतका का सिर व हत्या में प्रयुक्त हथियार को बरामद कर लिया है। विवाहिता अपने पिता के नवाबगंज स्थित मकान में अक्सर रहती थी। उसका पति मुंबई में मजदूरी करता था। आसिफ रजा नवाबगंज में बाइक रिपेयरिंग का काम करता था। गिरफ्तार आरोपी को गहन पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है।

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।

- महिला की सिर कटी लाश मामले में आरोपी गिरफ्तार
- नानपारा क्षेत्र के जगन्नाथपुर में मिला था शव

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद बहराइच

प्रेस नोट क्रमांक.- 042

दिनांकः- 09.03.2025

अज्ञात महिला की नृशंष हत्या की घटना का 72 घण्टे में सफल अनावरण, घटना से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद

थानाः- कोतवाली नानपारा

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बहराइच द्वारा अपराध व अपराधियों के रोक-थाम एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये दिशा-निर्देश के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी व क्षेत्राधिकारी नानपारा श्री प्रद्युम्न सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना को0नानपारा पुलिस को मिली सफलता, मु.अ.सं. 95/2025 धारा 103(1), 238(a) बी.एन.एस. का सफल अनावरण किया गया।

- **घटना का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 07.03.2025 को गिरधरपुर प्रधान प्रतिनिधि गरीबे पुत्र हाजी दिलबहार द्वारा थाना स्थानीय को लिखित सूचना दी गयी कि ग्राम गिरधऱपुर जगन्नाथपुर कदम पुलिया से सूर्य नहर दक्षिण पटरी पर पुलिया से करीब 400 मीटर पश्चिम की तरफ नहर की पटरी पर एक अज्ञात महिला का शव पड़ा है, जिसका सिर नहीं है । सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर शव को कब्जा पुलिस में लेकर अभियोग पंजीकृत करते हुए मृतका की शिनाख्त करायी गयी । शिनाख्त पश्चात् मृतका के शव का नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वॉट टीम, सर्विलांस टीम व पुलिस टीम गठित कर उक्त घटना के शीघ्र अनावरण करने हेतु निर्देशित किया गया।

- **घटना के अनावरण का विवरण-**

स्वॉट टीम, सर्विलांस टीम व गठित पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल निरीक्षण, ऑपरेशन त्रिनेत्र के अन्तर्गत लगाये गये सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, मुखबिर खास की सूचना, बयान गवाहान, पारिस्थितिकीय साक्ष्य, बीटीएस, सीडीआर अवलोकन आदि के माध्यम से घटना के अनावरण हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे थे । इसी क्रम में आज दिनांक 09.03.2025 को स्वाट व पुलिस टीम संयुक्त रूप से वांछित अभियुक्त की सुरागरसी पतारसी की जा रही थी कि मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आशिफ रजा उर्फ फैजान आज नेपाल भागने की फिराक में है, प्राप्त सूचना पर पुलिस टीमें सक्रिय हुई तथा उक्त व्यक्ति को मथुरा पुल के पास से पकड लिया, पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम आसिफ रजा उर्फ फैजान उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र मुजफ्फर अली निवासी ग्राम हसनपुर थाना हरदत्तनगर गिरण्ट, जनपद श्रावस्ती बताया । अभियुक्त आशिफ रजा से गहराई से पूछताछ करने पर बताया कि मृतका के पिता का मकान कस्बा नवाबगंज में है जहाँ मृतका अधिकतर समय अपने पिता के घर पर ही रहती थी । पड़ोस में ही मेरी मोटरसाइकिल बनाने की दुकान है । करीब दो माह से हम दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था । वह शादीशुदा होते हुए भी मुझपर शादी बनाने का दबाव बना रही थी, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, जिससे छुटकारा पाने के लिए योजना बनायी, उसी योजना के तहत दिनांक 06.03.2025 को करीब 19.00 बजे मैने मौका पाकर उसको विश्वास में लेकर सरयू नहर के किनारे जंगल में मोटरसाइकिल से बिठाकर ले गया और छुपाकर लाये चैन स्पाकिट व शाकर से बने बोगदा से उसकी गर्दन पर कई वार कर उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और उसके सर को उसी के शॉल व दुपट्टे में लपेटकर व बोगदे को घटना स्थल से करीब 02 कि.मी. दूर सरयू नहर के किनारे एक झाड़ में छिपा दिया था । अभियुक्त की निशांदेही पर संयुक्त टीम द्वारा मृतका के कटे सिर व आलाकत्ल को बरामद किया गया व घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने हुए

कपड़े को अभियुक्त की दुकान कस्बा नवाबगंज, थाना नवाबगंज से बरामद किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया गया।

- **<u>अनावरित अभियोग का विवरण-</u>**
  1. मु.अ.सं. 95/2025 धारा 103(1), 238(a) बी.एन.एस.
- **<u>अभियुक्त का विवरणः-</u>**
  1. आसिफ रजा उर्फ फैजान उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र मुजफ्फर अली निवासी ग्राम हसनपुर थाना हरदत्तनगर गिरण्ट, जनपद श्रावस्ती
- **<u>गिरफ्तारी का स्थान व समय</u>**
  - स्थान – मथुरा पुल, थाना नानपारा, बहराइच
  - गिरफ्तारी दिनांक- 09.03.2025 समय 08.00 बजे
- **<u>बरामदगी का विवरणः-</u>**
  1. एक अदद मृतका का कटा सिर
  2. एक अदद आलाकत्ल बोगदा
  3. एक अदद घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल हीरो स्पेलेन्डर प्लस नंबर UP46K8132
  4. दो अदद मोबाइल फोन
  5. जामा तलाशी से 600/- रूपये
  6. अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहने कपड़े
- **<u>गिरफ्तारी पुलिस टीम-</u>**
  1. प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह
  2. निरीक्षक अपराध अवधेश यादव
  3. म0उ0नि0 काजल वर्मा
  4. उ0नि0 राम गोविन्द वर्मा
  5. उ0नि0 पूर्णेश नरायन पाण्डेय
  6. हे0का0 अर्जुन मद्धेशिया
  7. का0 अनुराग सिंह
  8. का0 अमित सिंह
  9. का0 शुभम यादव
  10. का0 विनय चौधरी
- **<u>स्वॉट टीमः-</u>**
  1. उ0नि0 दिवाकर तिवारी
  2. उ0नि0 दीपक सिंह
  3. हे0का0 गड्डू पांडे
  4. हे0का0 विनय कनौजिया
  5. का0 विकास सिंह
  6. का0 अनुराग शर्मा
  7. का0 धीरेन्द्र तोमर
  8. का0 नियाज अहमद
- **<u>सर्विलांस टीमः-</u>**
  1. का0 प्रदीप गंगवार
  2. का0 नितिन अवस्थी
  3. का0 आनन्द उपाध्याय
  4. का0 रचित यादुवेन्द्र

*मीडिया सेल, बहराइच